

बिहार सरकार  
कृषि विभाग  
अधिसूचना

संख्या : 1/ए०जी०-20/2010 4672

दिनांक :- 14-10-2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ (1.) यह नियमावली 'बिहार कृषि सेवा, कोटि-7 (उद्यान) भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2014' कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2 परिभाषा :- जब तक संदर्भ में विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली के प्रयोजन में -

- (i) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य,
- (ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,
- (iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
- (iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग,
- (v) 'कृषि सेवा अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 (बिहार अधिनियम संख्या-44, 1982),
- (vi) 'कोटि-7 (उद्यान)' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 की धारा 2 के अधीन अनुसूची-1 में उद्धृत कोटि-7 (उद्यान),
- (vii) 'बिहार कृषि सेवा, (कोटि-7)' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की कृषि सेवा, कोटि-7 (उद्यान),
- (viii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत हैं बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान) का संवर्ग,
- (ix) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,
- (x) 'वर्ष' से अभिप्रेत है "वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक" की अवधि,
- (xi) 'सक्षम प्राधिकार' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली द्वारा घोषित प्राधिकार,
- (xii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान) में नियुक्त व्यक्ति,
- (xiii) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है राज्य सरकार,

3 संवर्ग नियंत्रण :- यह सेवा एक राज्य सेवा होगी तथा कृषि विभाग इस सेवा का नियंत्री विभाग होगा।

4 पद सोपान :- (1.)(क) मूल कोटि का पद- सहायक निदेशक (उद्यान) एवं समकक्ष पद।

(ख) प्रथम प्रोन्नति का पद- उप निदेशक (उद्यान)।

(ग) द्वितीय प्रोन्नति का पद - संयुक्त निदेशक (उद्यान)।

(घ) तृतीय प्रोन्नति का पद - अपर निदेशक (उद्यान)।

(2) संवर्ग की संरचना एवं बल का पुनर्विलोकन विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार, की जा सकेगी।

5. मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्रोन्नति :- (1.) सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। मूल कोटि के 67 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से तथा 33 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

(2.) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को कोटि में स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग-अलग की जायेगी। यह गणना पदों के आधार पर की जायेगी अर्थात् सीधी नियुक्ति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा तथा प्रोन्नति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। 30 अप्रैल को रिक्तियों के संबंध में आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।

(3) शैक्षणिक योग्यता - संवर्ग में सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से उद्यान विज्ञान में स्नातक या Elective उद्यान विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान में स्नातक।

(4.) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति :-

(i) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जायेगी।

(ii) उम्र सीमा :- आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर विनिश्चित की जाए, किन्तु विशेष परिस्थिति में इसे राज्य सरकार के आदेश से बढ़ाया जा सकेगा।

